

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 17, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. एफ ए-3-11-2007-1-पांच (95).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा,—

(1) (क) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित स्थानीय क्षेत्र; और

(ख) उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित माल जिसका कि उक्त स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग या उपभोग किया जाता है,

विनिर्दिष्ट करती है; और

(2) निदेश देती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी व्यापारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से उक्त माल के मूल्य पर, प्रभारित किया जाएगा :—

#### सारणी

स्थानीय क्षेत्र (1)	माल (2)	कर की दर (3)
मध्यप्रदेश राज्य में के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स जो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर किसी स्थान से सिविल संनिर्माण में उपभोग या उपयोग के लिए लाई जाती हैं.	5 प्रतिशत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. एफ ए-3-11-2007-1-पांच (95).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2007-1-पांच (95) दिनांक 8 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2010

No. F. A-3-11-2007-1-V (95).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby,—

- (1) Specifies —
- (a) local areas mentioned in column (1) of the Table below; and
- (b) the goods mentioned in column (2) of the said Table which are used or consumed in the said local areas; and
- (2) directs that from the date of publication of the notification, the entry tax payable by a dealer under the said Act shall be charged on the value on the said goods at the rate specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

Local areas (1)	Goods (2)	Rate of tax (3)
All local areas in the State of Madhya Pradesh.	All kinds of steel bars and angles brought from a place outside the State of Madhya Pradesh for consumption or use in civil construction.	5 per cent.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.